

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक:- मो/उप/डा/व.स/2019/4049

दिनांक:- 9/4/2019

विडियों कॉन्फ्रेंसिंग सूचना

विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर की अध्यक्षता में समस्त उप निदेशक क्षेत्रिय, स्थानीय निकाय विभाग व आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी की निम्नानुसार विडियों कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी:-

क्र. सं.	दिनांक	समय	सम्भाग	विशेष विवरण
01.	22.04.19	11.00 से 01.00	अजमेर	सभी उप निदेशक क्षेत्रिय, स्थानीय निकाय विभाग निर्धारित एजेन्डे पर अपना Presentation प्रस्तुत करेंगे साथ ही उस क्षेत्र के दो सबसे न्यूनतम प्रगति वाले निकाय अपना Presentation प्रस्तुत करेंगे।
		02.00 से 04.00	उदयपुर	
02.	23.04.19	11.00 से 01.00	कोटा	
03.	24.04.19	02.00 से 04.00	जयपुर	
04.	25.04.19	12.00 से 02.00	जोधपुर	
		02.00 से 04.00	भरतपुर	

एजेन्डा नोट:-

01. स्वच्छ भारत मिशन:-

- Progress of Bulk Generator.
- Progress of Plastic Carry Bag Sleazing.
- Progress of IHHI/CT/PT.
- Progress of MSW Composting/Processing.

02. एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट:-

- Progress of Payment to EESL.
- Progress of Phase Wiring Work/Metering System.


03. नगरीय विकास कर की प्रगति

04. विधान सभा प्रश्नों के जवाबों की प्रगति

05. जोनल प्लान की प्रगति एवं भुगतान की स्थिति

06. स्मार्ट राज योजना की प्रगति

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समय पर सम्पूर्ण तैयारी के साथ जिला मुख्यालय स्थित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग रूम में उपस्थित रहें।



(सुनील भाटी)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:- ५०५० - ५२३३

दिनांक- १/५/२०१९

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
03. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
04. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
05. परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
06. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
08. संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
09. वरिष्ठ नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
10. SA/ACP, प्रोग्रामर, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान (बीकानेर सम्भाग को छोड़कर)।
13. समन्वयक, सी.एम.ए.आर., स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर अल्पहार, चाय एवं पानी की व्यवस्था के लिए निर्देशित।
14. कार्यालय अधीक्षक/केयर टेकर, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर को आवश्यक व्यवस्था के लिए निर्देशित।



(सुनील भाटी)

अतिरिक्त निदेशक
ca